प्रार्थी	विप्रार्थीगण
…नमाराम पुत्र वागाराम, जाति विश्नोई निवासी जाटों की ढाणी, चौहटन तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर	1.सदराम 2.भाखराराम पि. भीखाराम 3.लाधुराम पुत्र वागाराम 4.राणाराम 5.मांगीलाल 6.पपूराम 7.चम्पाराम पि.अमरराम 8.मोहनीदेवी पत्नि रामलाल 9.रामलाल पुत्र बाबूलाल 10.मानाराम 11.मोहनराम 12.जेकनराम पि. ठाकराराम 13.मालूदेवी पुत्री ठाकराराम 14.परमेश्वरी पुत्री ठाकराराम, जाति विश्नोई, निवासी जाटों की ढाणी, चौहटन 15.तहसीलदार चौहटन

10/01/22 **किस्म मुकदमा राजस्व आवेदन 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम मु.न. 03/2022**

प्रार्थी के वकील श्री मोहनलाल खिलेरी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश किया।

स्थगन प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी के वकील की एक पक्षीय बहस सुनी गई। बहस में प्रार्थी वकल का कथन है कि मौजा जाटों की ढाणी (चौहटन) में खसरा सं. 102 रकबा 171.00 बीघा का आया हुआ है। उक्त विवादित भूमि प्रार्थी एवं विप्रार्थी सं. 1 से 14 की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जा काश्त की भूमि है। जिसमें प्रार्थी का 1/6 हिस्सा खातेदारी अधिकारों का है। इसी हिस्सानुसार प्रार्थी का अपने हिस्से की भूमि पर कब्जा काश्त है। प्रार्थी की रहवासी ढाणियां, टांके, चाराबाड़े एवं पशुबाड़े इत्यादि बने हुए है। विवादित भूमि प्रार्थी एवं विप्रार्थी सं. 1 से 14 के नाम संयुक्त रूप से दर्ज होने के कारण पक्षकारों में खेत के हिस्से को लेकर विवाद रहता है। विप्रार्थी सं. 1 से 14 द्वारा सामलाती भूमि का अजनबी लोगों को बेचान कर प्रार्थी को उसके कब्जे से जबरन बेदखल करने पर आमदा है। यदि विप्रार्थीगण ऐसा करने में कामयाब हो जाते है तो प्रार्थी को अपूर्णिय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति भविष्य में संभव नहीं होगी। अतः आवेदन पेश कर निवेदन है कि उक्त वादग्रस्त भूमि में विप्रार्थीगण को जरिये अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वे उपरोक्त वादग्रस्त भूमि में प्रार्थी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करे। मौके एवं रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधिवक्ता की बहस एवं सलंग्न दस्तावेजों के आधार पर प्रथम दृष्ट्या प्रकरण प्रार्थी के हक में कयास होता है, अतः जरिये अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा उभयपक्ष को आगामी पेशी तारीख तक इस कदर पाबन्द किया जाता है कि तहसील चौहटन के मौजा जाटों की ढाणी (चौहटन) में खसरा सं. 102 रकबा 171.00 बीघा भूमि पर मौके एवं रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे। अप्रार्थीगण की तलबी हेतु नोटिस दिवस 7 में रजि.एडी सहित न्यायालय हाजा में आवश्यक रूप से प्रस्तुत किया जावे। स्थगन अहकॉम जारी हो। तलबी अप्रार्थीगण जरिये रजिस्टर एडी. नोटिस की जाकर पत्रावली दिनांक 14.02.2022 को पेश हो।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी चौहटन

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2022.03.31 17:10:28 IST
Reason: SelfAttested

14/02/22 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी [illegible] Not-Press किया। वकील प्रार्थी द्वारा Not-Press [illegible] अतः आवेदन [illegible] की कार्यवाही इसी स्तर पर समाप्त की जावें। आवेदन खारिज किया जाकर हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। संख्या से कमी

Not Press

सहायक कलक्टर
(SDO) चौहटन